

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2
Mail ID-rwdeedbg2@gmail.com

पत्रांक 861. /

दिनांक 21/05/2024

प्रेषक,

ई0 अवधेश कुमार
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

सेवा में,

Sri Avadesh Kumar Jha,
Vill-Nawada, P.O-Nawada,
Dist-Darbhanga (Pin No-847201)
Mob No-9934912710

विषय:-

शीर्ष NABARD योजना अन्तर्गत पी0डब्लू0डी0 नेहरा (नवटोलिया) से पैकटोल तक पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध में।

प्रसंग:-

एकरारनामा संख्या-05/SBD/2019-20 दिनांक-11.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि आपके द्वारा विषयांकित पथ का मूल कार्य दिनांक-20.03.2020 को पूर्ण किया गया है। आप अच्छी तहर अवगत है कि पूर्ण किये गये पथ का पॉच वर्षीय अनुरक्षण कार्य कारना एकरारनामा का भाग है। अनुरक्षण कार्य करने हेतु बार-बार मौखिक रूप से एवं सहायक अभियंता के पत्रांक-119 दिनांक-22.09.2023 एवं पत्रांक-74 दिनांक-08.05.2024 द्वारा निर्देशित किया गया है, परन्तु अद्यतन आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया है, जो कि एकरारनामा की शर्तों के विरुद्ध आचरण है। ज्ञातव्य हो कि उक्त पथ का अनुरक्षण की जाँच संबंधित कनीय अभियंता द्वारा दिनांक-18.10.2023 को BRRMS App से किया गया, जिसमें U ग्रेडिंग प्रदान की गई। एवं सहायक अभियंता द्वारा BRRMS App से Rectification Module किया गया, जिसमें U ग्रेडिंग प्रदान की गई। तदुपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी दिनांक-17.05.2024 को BRRMS App से Rectification Module में अंकित होने के कारण निरीक्षण किया गया जिसमें U ग्रेडिंग प्रदान की गई। उक्त पथ कोई भी Rectification का कार्य नहीं किया गया जिसके कारण त्रुटियों निम्न प्रकार से है :-

(1) पथ के चैनेज-0मी0 से 1200मी0 तक BT Surface एवं चैनेज-1800मी0 से 2250मी0 तक CC Surface पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाना।

(2) पथ के फ्लैक में चैनेज-0मी0 से 1200मी0 एवं 1800मी0 से 2250मी0 तथा अन्य जगहों पर जंगल-झाड़ी की सफाई नहीं होना।

(3) पथ में 200m (हेक्टोमीटर पिलर) एवं किलोमीटर पिलर का समुचित संख्या में नहीं रहना एवं पेंट नहीं होना।

(4) मेन बोर्ड/ अनुरक्षण पट्ट एवं लोगोबोर्ड पर स्थल पर स्थापित नहीं होना।

अतः आपको शख्त निर्देश दिया जाता है कि उक्त पथ में उक्त वर्णित त्रुटि को यथाशीघ्र पन्द्रह दिनों के अन्दर सुधार करते हुए अनुरक्षण कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आपके विरुद्ध SBD के Clause of Contract की कंडिका-3 अन्तर्गत उप कंडिका-(iv) के तहत एकरारनामा को विखंडित करते हुए कालीकृत करने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दी जायेगी साथ ही आपके विरुद्ध और भी दंडात्मक कार्रवाई अलग से की जायेगी। जिसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार आप स्वयं होंगे।

विश्वासभाज

21/5/24

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

ज्ञापांक 861. / दिनांक 21/05/2024

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/ नोडल पदाधिकारी BRRMS ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

0/c

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

21/5/24